JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

Study of Spatial pattern of increasing crime against women with reference to Jaipur city

Sonu Verma.

At Present Research Working Scholar at Maulana Azad University, Jodhpur, Rajasthan.

परिचय (Introduction) &

''स्त्री को कमजोर लिंग कहना अपमान है; यह मनुष्य का अन्याय है महिला। यदि शक्ति से तात्पर्य पाशविक शक्ति से है तो वास्तव में महिला कम पाशविक है, आदमी से ज्यादा। यदि शक्ति से तात्पर्य नैतिक शक्ति से है तो नारी अतुलनीय है मनुष्य श्रेष्ठ है. क्या उसमें अधिक अंतर्ज्ञान नहीं है, क्या वह अधिक आत्म–बलिदान नहीं कर रही है, क्या उसमें सहनशक्ति की शक्ति अधिक नहीं है, क्या उसमें साहस नहीं है? उसके बिना आदमी नहीं रह सकता. यदि अहिंसा हमारे भविष्य का नियम है महिला के साथ है। दिल को इससे ज्यादा असरदार अपील कौन कर सकता है महिला?"

– महात्मा गांधी के अनुसार

महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक विश्वव्यापी महामारी है। इसमें अलग समय लग सकता है इतिहास, संस्कृति, पृष्ठभूमि और अनुभवों के आधार पर रूप, लेकिन यह महिलाओं, उनके परिवारों और समुदायों के लिए बड़ी पीड़ा का कारण बनता है जो वे रहते हैं. यह अक्सर लिंग की अवधारणाओं और भूमिकाओं में अंतर्निहित होता है वे पुरुष और महिलाएँ जिन्हें किसी भी संस्कृति में "आदर्श" माना जाता है समय, और यह महिलाओं पर शक्ति और नियंत्रण स्थापित करने के प्रयासों में प्रकट होता है शरीर और जीवन। महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे नियमित और प्रचलित मानव अपराधों में से एक है अधिकारों का उल्लंघन. इसकी जड़ें लैंगिक सामाजिक संरचनाओं में नहीं बल्कि लिंग आधारित सामाजिक संरचनाओं में हैं। व्यक्तिगत और यादृच्छिक कार्य; यह उम्र, सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक सभी स्तरों पर लागू होता है और भौगोलिक सीमाएँ; सभी समाजों को प्रभावित करता है; और एक बड़ी बाधा है। विश्व स्तर पर लैंगिक असमानता और भेदभाव को समाप्त करना।

संयुक्त राष्ट्र – ''महिलाओं के खिलाफ अपराध को "लिंग आधारित हिंसा के किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप" के रूप में परिभाषित किया गया है। महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा होने की संभावना है या होने की संभावना है, जिसमें ऐसे कृत्यों की धमकियां, जबरदस्ती या मनमाने ढंग से वंचित करना शामिल है। स्वतंत्रता, चाहे सार्वजनिक रूप से हो या निजी जीवन में।''

सारा ग्रिमके के शब्दों में – "सारा इतिहास इस बात की पुष्टि करता है कि मनुष्य के पास है, उसने अपनी इच्छानुसार महिलाओं को सुझाव दिया, उसे अपने प्रचार के साधन के रूप में इस्तेमाल किया संतुष्टि, उसके यौन सुखों की पूर्ति करना, सहायक होना, उसके आराम को बढ़ावा देना; लेकिन उसने कभी भी उसे उस पद तक ऊपर उठाने की इच्छा नहीं की भरने के लिए बनाया गया था। उसने उसके दिमाग को ख़राब करने और गुलाम बनाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था; और अब वह उस बर्बादी को विजयी दृष्टि से देख रहा है जिस पर उसने इस प्रकार गहरी चोट की है लेकिन मैं अपने लिंग के लिए कोई एहसान नहीं मांगता। मैं अपने भाइयों से बस इतना ही अनुरोध करता हूं कि वे ऐसा करेंगे उनके पैरों को हमारी गर्दन से हटा दें और हमें उस जमीन पर सीधे खड़े होने की अनुमति दें, जिस पर कब्ज़ा करने के लिए भगवान ने हमें बनाया है"।

हिंदू ऋषि, मनु ने स्त्री को शाश्वत बंधन की निंदा की।

जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने कहा, "जब आप किसी महिला से मिलने जाएं, तो ले लें आपका चाबुक साथ है. उच्चतम संस्कृति के अपने काल में यूनानियों को कैद कर लिया गया उनकी महिलाओं को उनके घरों के भीतर रखा जाता है और उन्हें सभी अधिकारों से वंचित किया जाता है"।

स्पार्टन्स ''अक्सर उन महिलाओं को नष्ट कर देते थे जो जन्म नहीं दे सकती थीं स्वस्थ बच्चे. यहां तक कि रोम का सबसे शानदार और सभ्य साम्राज्य भी अपनी महिलाओं को कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया। रोम में पतियों का पूर्ण नियंत्रण था अपनी पत्नियों पर नियंत्रण रखते थे और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते थे।''

अरस्तू और रूसो ने ''विनम्रता, स्त्रीत्व आदि जैसे गुणों की ब्रांडिंग की महिला सेक्स के लिए नम्रता स्त्री जैसी और स्वाभाविक है। प्लेटो ने उन्हें स्वीकार कर लिया। उनके गणतंत्र में एक समान दर्जा लेकिन यह भटका हुआ उदाहरण है।

कार्ल मार्क्स, एंगेल्स और अन्य के नेतृत्व में समाजवादी विचारकों का मानना था। महिलाओं को स्वतंत्र और समान उत्पादक सदस्यों से बदल दिया गया था

पत्नियों और वार्डों को अधीन करने के लिए समाज। यहां तक कि समानता के पैरोकार हॉब्स और लॉक्स ने भी इसे निर्दिष्ट नहीं किया महिलाओं को समानता। ''समानता और स्वतंत्रता, हालाँकि, चेकर की तरह महिलाओं से दूर रही हालाँकि, मानव जाति के इतिहास में विभिन्न और असमान संस्कृतियाँ पाई जाती हैं वे समय और स्थान से बहुत दूर हो सकते हैं, उनमें एक चीज समान है और वह है महिलाओं के प्रति अवमानना. महिलाओं की यह असमान स्थिति मानव के लिए अपमानजनक है। गरिमा और मानवाधिकार मानव में मूलभूत संकट के रूप में उभरे दुनिया भर में विकास. के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास राजनीतिक, सामाजिक, सामाजिक कार्यों में महिलाओं की मौलिक स्वतंत्रता और समान भागीदारी

आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य राष्ट्रीय विकास के सहवर्ती हैं, सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिरता. लिंग के आधार पर सभी प्रकार का भेदभाव अशांति पैदा करो।"

''कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गयी मारपीट या अन्य प्रताडना से तृष्ट है तो वह घरेलू हिंसा कहलायगी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 उसमें घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता के अधिकार प्रदान करता है'' – राज्य महिला आयोग के अनुसार

प्रकृति सृजित प्राणियों में मनुष्य सर्वाधिक विकसित प्राणी है। मनुष्य ने अपनी मेधा के बल पर समूह, समुदाय, समाज, गांव, शहरों का गठन किया ही है, राज्य की व्यवसथा कर उसकी विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों का भी गठन किया है। मनुष्य किसी से शासित है तो स्वशासित भी है। मनुष्य जहाँ अनुशासित प्राणी है, तो उसमें उच्छृंखलता भी है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास और समग्र हित चिंतन, प्रबंधन राज्य का दायित्व होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, भरण–पोषण, आर्थिक विकास के साथ–साथ नागरिक की सम्पूर्ण सुरक्षा भी राज्य के ही जिम्मे होता है। मनुष्य अपराध करता है, कारण मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या अन्य कई हो सकते हैं। यदि अपराधों पर नियंत्रण न किया जाए तो विकास, उन्नयन का ताना–बाना छिन्न–भिन्न हो जाता है, सामाजिक ढ़ांचा भी ध्वस्त होने लगता है।

प्रस्तुत शोध के अध्ययन का क्षेत्र राजस्थान राज्य के जयपुर शहर के साथ–साथ सम्पूर्ण जयपुर जिला है। यद्यपि पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपराध होते हैं पर तेजी से स्मार्ट सिटी की ओर विकसित हो रहे जयपुर शहर में प्रायः हर प्रकार के अपराध दृष्टिगोचर होते हैं। जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह जिला और जयपुर संभाग दोनों के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। जयपुर राजस्थान राज्य की वाणिज्यिक राजधानी भी है।

‘kks/k dk egRo **(Importance of Proposed Investigation)**

इस शोध का यह महत्व है कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को भविष्य में सॉफ्टवेयर ऐप की मदद से रोका जा सके एवं उनकी सुरक्षा कर महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके। वर्तमान समय में महिलाओं के बढ़ते अपराध के आंकड़ों को देखकर दुर्लभ जीवन को सरल जीवन बनाया जा सके। यह शोध का महत्व है।

v/;;u ds mís'; **(Object of Research Study)**

प्रस्तुत शोध अध्ययन मानव कल्याण से जुड़ा हुआ रहेगा। जयपुर शहर में महिला के प्रति बढ़ते अपराध का भौगोलिक विश्लेषण कर समस्या के समाधान एवं निराकरण हेतु आयोजना तथा रणनीतियों को प्रस्तुत करना इस शोध प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके साथ–साथ अपराध से सम्बन्धित आंकड़ों को ज्यादा सुगम, सटीक और गुणवत्ता पूर्ण विश्लेषण करके नगर में फैले अपराध की बेहतर समझ उपयुक्त मानचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना भी इस शोध का एक अन्य उल्लेखनीय उद्देश्य

रहेगा। भूगोल में कल्याणपरक उपागम के अन्तर्गत मनुष्य का अधिकतम कल्याण करना ही प्रमुख उद्देश्य होगा। प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे–

- जयपुर शहर के संदर्भ में अपराध और अपराध भूगोल की संकल्पना प्रस्तुत करना एवं अपराध का भौगोलिक पर्यावरण के साथ अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट करना।
- जयपुर शहर के स्वरूप (भौगोलिक एवं सांस्कृतिक) को स्पष्ट करते हुए अपराध के साथ उसका सम्बन्ध स्पष्ट करना।
- जयपुर शहर राजस्थान राज्य के अन्य नगरों से विशिष्ट है। यहाँ अपराधों की संख्या एवं स्वरूप तुलनात्मक रूप से भिन्न है। अतः जयपुर शहर के अपराधों का वर्गीकरण एवं उनका क्षेत्रीय वितरण प्रस्तुत करना।
- भिन्न–भिन्न अपराधों के लिए अलग–अलग कारक उत्तरदायी होते हैं। भौगोलिक कारकों एवं अपराध के मध्य कारण–कार्य सम्बन्ध की व्याख्या प्रस्तुत करना।
- अपराध के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में एक ऐसा नियोजन तथा रणनीतियों को प्रस्तुत करना जिससे अपराध को रोका जा सके।
- **राजस्थान में महिला अपराध का ग्राफ**

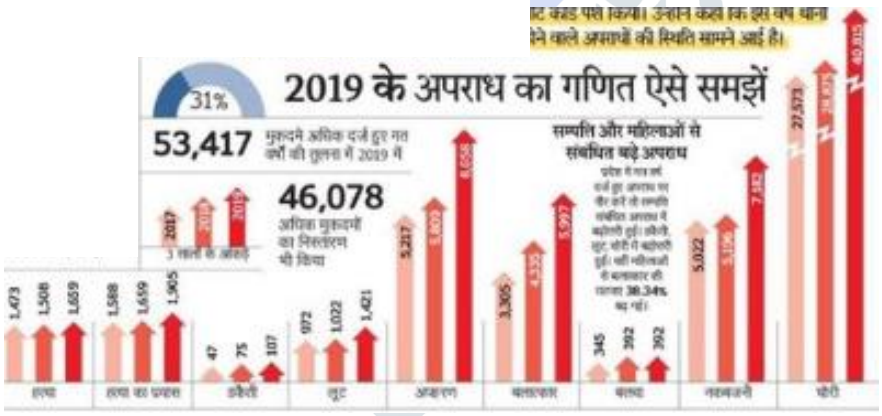

3- साहित्य का पुनरावलोकन (Review of Literature)

वस्तुतः अपराध का अध्ययन, अपराधशास्त्र का मुख्य विषय रहा है, यही कारण है कि अपराध सम्बन्धित ज्यादातर साहित्य अपराधशास्त्र की परिधि में आ जाता है। भारत में भी मानव एवं वातावरण के व्यवहार को लेकर 70 के दशक में आचारपक भूगोल का प्रारम्भ किया गया। अपराध भूगोल इसी आचारपक भूगोल का एक अंग है। इसके अनुसार मानव व्यवहार, मानव एवं वातावरण की दशाओं की अन्तर्क्रियाओं का प्रतिफल है। मानव और वातावरण के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में 1748 में माण्टेस्क्यू ने और 1749 में बफन ने अपराधों का भौगोलिक अध्ययन किया। इन दोनों का मत था कि वातावरण मानव के व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है और यदि मानव अपराधी प्रवृत्तियाँ अपनाता है तो उसके पीछे उसके चारों ओर पायी जाने वाली भौगोलिक परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार होती हैं। अपराध एक सार्वभौमिक स्थिति

है। ऐसे कार्य जो समाज विरोधी हों और उन्हें दण्डनीय स्वीकार किया जाये, अपराध की श्रेणी में आते हैं। इन आचरणों को नीतिशास्त्र अनैतिक कृत्य, कानून अवैध, धर्मशास्त्र पाप, दर्शनशास्त्र अशुभ मानता है। आदिम समाज में इन कृत्यों को टॉर्ट के नाम से जाना जाता था (पाण्डेय, 2002)।

अपराध साहित्य में अपराधों को अलंकारिक भाषा में दर्पण की उपमा प्रदान की गयी हैं ऐसा माना जाता है कि "अपराध वह दर्पण है, जिसमें लोगों का चरित्र प्रतिबिंबित होता है। यह एक दुखद वास्तविकता है जिसका हम सामना नहीं करना चाहते" (क्लार्क, 1974)।

अपराधों के संदर्भ में वार्नफील्ड ने बोस्टन शहर में अपराधों का अध्ययन किया और स्पष्ट किया कि शहर में उन क्षेत्रों में जहाँ मलिन बस्तियाँ मिलती है, वहाँ अपराध ज्यादा होते हैं।

इसी से मिलता–जुलता विचार वेलेन्टाइन ने दिये। उन्होंने सामाजिक स्तर को अपराधों का मुख्य कारण माना है। एम. फास्टिलस ने सम्पत्ति के असमान वितरण को अपराधों का कारण माना। न्यूमैन ने इमारतों की बनावट और ऊँचाई को अपराध से संबंधित करते हुए स्पष्ट किया कि अधिक ऊँची इमारतों एवं खुले निर्माण तथा न दिखाई देने वाली अवस्थिति में अपराध अधिक होता है। जैन मिलर ने दंगों का विस्तार से अध्ययन किया और इसके कारण के पीछे हताशा, गरीबी और असुरक्षा की भावना को कारण माना। डैक्सटर महोदय ने अपराधों पर भौगोलिकता के प्रभाव को अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा कि अपराध पर भौगोलिक अवस्थाओं और मौसम का प्रभाव पड़ता है। मारपीट जैसे जैसे अपराध पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा, उबड़–खाबड़ क्षेत्रों में उससे कम और समतल मैदानों में सबसे कम होते हैं अपराध पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने वाले अन्य विद्वानों में मिल्स, डिफ्लूर, हैरिज और टेलर प्रमुख है। इन्होंने अपने व्यापक शोधों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि अपराध और अपराधियों पर वातावरण के तत्वों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। इस प्रकार अपराध शास्त्र धीरे–धीरे भूगोल के अध्ययन का विषय भी होता गया। यद्यपि इस कार्य में विदेशी विद्वानों का विशेष योगदान है।

अपराध भूगोल पर अपने शोध–पत्र, विचार, व्याख्यान, प्रसिद्ध पत्रिकाओं, गोष्ठियों आदि के माध्यम से इसके साहित्य को समृद्ध करने वाले भूगोलविदों में कोहेन, ल्वी, फिलिप, हैरिज, पीट, हरबर्ट आदि प्रमुख है। अपराध भूगोल का प्रारम्भ होने के बाद अनेक विद्वानों ने इस समस्या का क्षेत्रीय अध्ययन किया हैं जिसमें कोर्सा, हार्वे, क्लीनर्ड, हाउन्स, हैसिल एण्ड टेथस, हेनर, सैन्सपरी, स्काट का योगदान सराहनीय है।

विश्व के अन्य देशों में अपराध को भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा गया। उस पर पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभाव आदि का विश्लेषण भौगोलिक दृष्टिकोण द्वारा किया गया। किन्तु भारत में अपराधशास्त्र को भौगोलिकता के क्षेत्र में लाने में उपेक्षा की गयी है। बाद में अनेक तर्क–वितर्क एवं विरोधों के बाद अपराध को भूगोल विषय के अन्तर्गत लाया गया, और अपराध का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किया गया। जिसमें मि. सेघना, पेरीन सी केरावाला एवं मि. वेनु गोपालराव मुख्य हैं। इनके अलावा जिन अन्य

विद्वानों ने भारत में अपराध भूगोल पर काम किये उनका विवरण इस प्रकार है–मि. शर्मा (1975), शिवमूर्ति (1981), ए.के. दत्त और जी. वेनूगोपाल (1983), राधेश्याम मिश्रा (1985), आर.डी. सिंह (1991), बी. पासवान (1991), आर.एस. सिंह और सुधा सिंह (1992), प्रशन कुमार (2000), इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में सविता पाण्डेय (2002), आशुतोष त्रिपाठी (2005), अजय त्रिपाठी (2006), नवलेश चतुर्वेदी (2010) तथा विवेकानन्द राय (2012) इत्यादि ने अपराध भूगोल के क्षेत्रीय विश्लेषण किया।

वस्तुतः इन कार्यों में मुख्यतः अपराधों के कालिक और स्थानिक पक्षों का निरूपण किया गया है, जबकि अपराध हेतु उत्तरदायी आर्थिक और सामाजिक कारकों पर कम ध्यान दिया गया। इसी प्रकार अधिकांश अध्ययनों में अपराधों की स्थानिक विषमताओं की विधिवत व्याख्या का अभाव पाया जाता है। वर्तमान अध्ययन में इन अन्तरालों के परिपूरण का प्रयास किया गया है।

अपराध की समस्या पर विश्व एवं भारतीय स्तर पर अनेक अध्ययन किये गये जिसके लिखित प्रमाण अपराध साहित्य की व्याख्या में आज भी सक्रिय है–

कादम, एच.एल. (2000) की पुस्तक **"दि इंडियन क्रिमिनल"** में भारतीय अपराधियों की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन मिलता है। इनके द्वारा किस प्रकार के अपराध अधिक किये जा रहे हैं, इसका वर्णन लेखक ने इस पुस्तक में किया है।

एस.एम. एडवर्ड्स द्वारा लिखी "क्राइम इन इंडिया" में अपराधों की परिस्थितियों का जो इन घटनाओं को प्रोत्साहित करती है, का वर्णन मिलता है।

अगस्त सोमरवाइल ने अपराध विषय पर क्राइम एण्ड रिलीजन विलीफ इन इंडिया नामक पुस्तक में बताया है कि अन्ध धार्मिकता, जाति उन्माद और साम्प्रदायिकता की भावना मनुष्य को किस प्रकार से अपराध करने के लिए प्रेरित करती है।

एच. हार्वे की "कैमियोज ऑफ इंडियन क्राइम" भी अपराध साहित्य की महत्त्वपूर्ण पुस्तक है। जिसमें अपराध और अपराधी दोनों को पृथक्–पृथक् रूप से परिभाषित किया गया है।

हैकरवाल ने अपनी पुस्तक सोशल एण्ड इकोनामिक आसपेक्ट ऑफ क्राइम इन इंडिया में असम्मत सामाजिक एवं आर्थिक तत्वों का विश्लेषण अपराधों के परिप्रेक्ष्य में किया है।

इसी क्रम में विलियम हीली तथा सिरिल वर्ट के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि अपराधी व्यवहार की विशेष कारण वाली व्याख्याएँ सही नहीं है। अपराध अनेक कारकों तथा दशाओं का प्रतिफल है।

अपराध के संदर्भ में भूगोलवेत्ताओं की अपेक्षा समाजशास्त्रियों ने विशेष उल्लेखनीय कार्य किये हैं। समस्त पाश्चात्य जगत् में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में इस विषय पर विस्तृत कार्य सम्पादित किये गये हैं।

सिंह, संगीता एवं तोमर, शैलेन्द्र सिंह (2019) द्वारा लिखित शोध पत्र "इंदौर जिले का आपराधिक प्रतिरूप : एक भौगोलिक अध्ययन" (परिप्रेक्ष्य.इंण्डियन जनरल ऑफ रिसर्च, वॉल्यूम–8, इश्यू–6, जून–2019, आईएसएसएन 2250–1991) में बताया है कि अपराध और अपराध के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों के लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों और भूगोलवेत्ताओं की संस्थापनाओं और सिद्धान्तों का भी अध्ययन किया गया हैं इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि समस्या होती है तो उसका समाधान भी ढूँढना ही पड़ता है। भौतिक भौगोलिक परिस्थितियाँ (धरातल, जलवायु आदि) तो प्राकृतिक होती है, इन्हें तो बदला नहीं जा सकता पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपराध और अपराध–प्रवृत्ति पर नियंत्रण भी आवश्यक है। आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए सुनियोजित नगरीकरण, सुव्यवस्थित औद्योगीकरण पर ध्यान देना होगा। आज समाज में जो आर्थिक असमान है, इस खाई को इस प्रकार पाटना होगा कि अनुदान और रियायतें पा–पा कर मानव संसाधन निष्क्रिय न हो जाए, उसमें ऐसा कौशल विकसित किया जाए कि वह आत्मनिर्भर हो जाए। अतः इसके लिए अच्छी शिक्षा तथा अच्छे संस्कार की आवश्यकता है।

सीमा (2013) ने अपने शोध पत्र "हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध–बहादुरगढ़ जिले का एक केस अध्ययन का भौगोलिक अध्ययन" (इंटरनेशनल जनरल ऑफ साइंटीफिक इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, आई.एस.एस.एन. 2347–3878, वॉल्यूम–1, इश्यू–3, नवम्बर 2013) में भारतीय समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे को उजागर किया है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति हमेशा पुरुष के सापेक्ष ही आंकी जाती है। इस धारणा ने विभिन्न रीति–रिवाजों और प्रथाओं को जन्म दिया है। घर के अंदर और बाहर महिलाओं के खिलाफ हिंसा समकालीन भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। भारत में महिलाएँ इसकी आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं और उनमें से अधिकांश सामाजिक–सांस्कृतिक और धार्मिक संरचनाओं के नीचे पीस रही हैं। प्रस्तुत अनुसंधान की कार्यप्रणाली में माध्यमिक और प्राथमिक दोनों स्रोतों से डेटा एकत्र किया है। प्राथमिक आंकड़े साक्षात्कार और क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से वार्डों और घरेलू स्तरों के विश्लेषण के माध्यम से एकत्र किया गया था। इसे प्रश्नावली विधि से एकत्रित किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण 1990–2011 तक एसपीपीएस जैसे सॉफ्टवेयर की मदद से मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया। एराडास, आर्क जीआईएस 10.1, आर्क व्यू 3.1 जैसे सॉफ्टवेयर से नक्शे तैयार किए।

कुसुमलता केडिया (2009), "स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ", (विश्वविद्यालय प्रकाशन जून 2009) ये विश्व की 'एकेडामिक्स' यूरो ईसाई सिद्वान्तों, अवधारणाओं एवं विचार प्रयत्नों से संचालित है। गैर ईसाई देशों एवं सभ्यताओं में उनके अपने ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिदृश्य में उभरी पनपी 'स्त्रीत्व' की धारणा एकेडमिक बहस के बाहर है। यह पुस्तक बताती है कि यूरोप में कैथोलिक

एवं प्रोटेस्टेन्टो ने पाँच सौ शताब्दियों तक करोड़ों निर्दोष सदाचारिणी, भावमयी, श्रेष्ठ स्त्रियों को डायन, भूतनी, चुडैल आदि बता कर उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएँ दी। उन्हें खौलते कड़ाहों में भूना गया, पानी में डूबोकर मारा गया, बीच से जिन्दा चीरा, घोड़े की पूंछ में बंधवा कर इस प्रकार दौड़ाया की उनका शरीर लहूलुहान हो गया। यह महिला हिंसा का प्राचीन स्वरूप कहा जा सकता है। अतः पुस्तक के अनुसार कहा जा सकता है कि महिला के प्रति अपराध या हिंसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक समस्या बन गई है।

हंटर कॉलेज, वीमेनस् स्टडीज कलेक्टिव वीमेन रियलिटिज (2005), (वीमेन चाइसेज ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस), प्रकाशित पुस्तक में महिलाओं की भूमिकाओं में आये बदलावों, महिला अध्ययन के क्षेत्र में उभरे आयामों का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक के एक पृथक अध्याय में महिला राजनैतिक शक्ति के संदर्भ में विभिन्न देशों में उभर रही प्रवृत्तिका सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है।

नश्तर खानकाही, गिरिराजशरण अग्रवाल (2000), "मानवाधिकार : दशा और दिशा" (बिजनोर, हिन्दी साहित्य निकेतन) : राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग द्वारा पुरस्कृत यह ग्रन्थ महिलाओं के अधिकारों पर भी यथेष्ट सामग्री प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकार संबंधी जानकारी के लिए अनुपम रचना है जो कि अनुसंधान के लिए विशेष उपयोगी है।

आशारानी बोहरा (1994), "नारी–शोषण : आइने और आयाम", (नयी दिल्ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस) : प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने बताया कि नारी–शोषण तथा नारी द्वारा कानूनों की शरण लेने का सबसे बड़ा कारण नारी की समाज में स्थिति तथा पुरुष का उसके वर्चस्व को चुनौती देना रहा है। लेखिका के अनुसार नारी समाज से अलग नहीं लेकिन इसकी स्थिति समाज में गौण होती जा रही है। पुस्तक के अन्त में नारी मुक्ति आन्दोलन और भारतीय नारी द्वारा किये विभिन्न आन्दोलनों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

आशारानी बोहरा (1991), "नारी विद्रोह के भारतीय मंच", (नयी दिल्ली, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस) ने अपनी पुस्तक में नारी को 'अबला' की श्रेणी में रखकर इस अवधारणा को चुनौती देते हुए महिलाओं द्वारा किये गये सामाजिक संघर्ष की विषयवार रूपरेखा का सटीक विवरण प्रस्तुत करता है। नारी द्वारा किये गये विभिन्न मंचों पर सामाजिक संघर्ष को लेखिका ने अपनी पुस्तक में स्थान दिया है।

आशा रानी बोहरा (1983) "भारतीय नारी दषा और दिषा", (नई दिल्ली, नेषनल पब्लिषर्स) में नारी सौन्दर्य पुरूष के लिए, समाज के लिए, स्वयं नारी के लिए प्रकृति का एक अनुपम वरदान है। उसे केवल मात्र उपभोग की वस्तु नहीं समझना चाहिए। मानसिक सौन्दर्य के बिना षारीरिक सौन्दर्य अधूरा है। इस अधूरेपन से ही उथलापन उभरता है जो विकृतियों को जन्म देता है। जरूरत है सौन्दर्य की इस परिभाषा को पूर्ण बनाने की न कि उसे अभिषाप समझा कर भर्त्सना करने की।

डी.एम. मूरे (1979), "दी वेटर्ड वूमैन क्राईम इन अमेरिका", (मैकमिलन, न्यूयॉर्क) प्राचीन समय में ही मनुष्य में पुरूष प्रधानता की भावना भर गई है कि पुरूष को समाज में प्राथमिक भूमिका होती है। अतः वह ग्रहस्वामी है, जिसका प्रत्येक वाक्य मान्य होना चाहिए, चाहे वह वाक्य गलत हो या सही। उसके उल्लंघन का अर्थ है तनाव, ताने व प्रताड़ना, जिसकी अभिव्यक्ति मानसिक रूप में ताने व तनाव तथा षारीरिक रूप से मारने व पीटने के रूप में हो सकती है।

लेग एण्ड लेग (1972), "सम प्रेन्टिम क्यूशचन ऑन कलेक्ट्रि वॉयलैनस ऐण्ड द न्यूज मीडिया" (दि जनरल ऑफ सोशियल इश्यूज, वॉल्यूम 28), नारी हिंसा से तात्पर्य एक ऐसे दबाव से है जिसमें नारी को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचे, केवल बोलचाल या व्यवहार के द्वारा नारी की अवहेलना करना, उपेक्षा करना व अपमान करना, जिसमें किसी प्रकार की शारीरिक चोट न पहुंचे, नारी के प्रति हिंसा नहीं कहलाती है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के जयपुर शहर से सम्बन्धित है। जयपुर राजस्थान की राजधानी, गुलाबी नगरी तथा प्राचीन कालीन रजवाड़ों की शरणस्थली रहा है। स्थापत्य कला, शहरी नियोजन तथा सौन्दर्यता के लिए पहचाना जाने वाला जयपुर वर्तमान में भारत के महानगरीय क्षेत्रों में से एक है। जिसकी उत्पत्ति लगभग 292 वर्ष पूर्व हुई थी जो मध्यकालीन युग का एक प्रमुख सुनियोजित शहर कहलाता है। इस प्राचीन शहर को सुनियोजित स्वरूप देने का प्रयास विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा किया गया था तथा उसके द्वारा बनाया गया नक्शा शहर की सुन्दरता में चार चाँद लगाता है।

जयपुर राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में अवस्थित है। तीनों और से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जयपुर की अवस्थिति 26º23´&27º57´ उत्तरी अक्षांश एवं 74ह्55ञ–76ह्50ञ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह अर्द्धशुष्क जलवायु की विशेषताओं से युक्त अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पूर्वी स्थिति को भी दर्शाता हैं।

4. शोध अन्तराल (Research Gap)

उपलब्ध संबंधित साहित्य के अध्ययन के बाद यह ज्ञात होता है कि अपराध शास्त्र तथा महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर समाजशास्त्र तथा मनोवैज्ञान में काफी शोध हो चुके हैं और अभी भी जारी हैं। इन सभी अध्ययनों में सामाजिक तथा कानूनी रूप के किसी–न–किसी पहलू को समझने की कोशिश हुई है किन्तु इन तमाम अध्ययनों के पश्चात् भी अपराध भूगोल को समझने की दिशा में कुछ पहलू अनछुए रह गए हैं जिनका उल्लेख निम्नवत् है–

- उपलब्ध अध्ययन से ज्ञात होता है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का भौगोलिक सूचना तंत्र के माध्यम से उचित रूप पर हुआ नहीं है।

- पिछले दो दशक में नगरीयकरण तथा औद्योगिकीकरण के पश्चात् महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में विभिन्न प्रकार के प्रारूपों में बदलाव हुआ। ऐसे में सीमित समय में ही नये अध्ययनों की जरूरत पड़ रही है।

5. प्रमुख परिकल्पना (Major Hypothesis)

वर्तमान में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के विशद् अध्ययन के लिए निम्नलिखित संकल्पनाओं के परीक्षण का प्रयास किया जायेगा–

- जयपुर शहर की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने अपराध को बढ़ावा दिया है।
- शहर में अत्यधिक प्रवास के कारण अन्य राज्यों से आये प्रवासियों के कारण शहर में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- सघन जनघनत्व वाले क्षेत्रों में अपराध, विरल जनघनत्व वाले क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा पाया जाता है।
- शैक्षक पिछड़ापन अपराध को बढ़ावा देता है।
- आधुनिक मानव की भौतिकवादी जीवनयापन की धारा के प्रति आकर्षित होने के कारण शिक्षित बेरोजगार युवकों में अपराधीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

6. संदर्भ सूची (List of References)

1. वोंगर, ए.डब्लू. (1916): क्रिमिनेलिटी एण्ड इकोनोमिक कंडीशन्स, बोस्टन, पृ. 536–537.
2. हूट्टन, ई. (1931): दि अमेरिका क्रिमिनल एन एन्थ्रोपोलोजिकल स्टडी (1939) हारवर्ड यूनी प्रेस, कैम्ब्रिज.
3. हेटिंग, हैंसवॉन (1947): क्राइम काजेज एण्ड कंडीशन्स, न्यूयार्क, पृ. 203.
4. लुंडबर्ग, जी. (1951); "सोशल रिसर्च" लोंगमैन", न्यूयॉर्कः ग्रीम एण्ड कम्पनी।
5. गुडे एण्ड हॉट (1952); "मैथेड इन सोशल रिसर्च", न्यूयॉर्कः मेक्ग्राहील बुक कम्पनी।
6. सिमूल, जार्ज (1956): क्रिमिनोलॉजी, यूथ स्टडी सर्किल.
7. क्वेटलेट (1959): धार्मिक लॉ ऑफ क्राइम कोटेड बाई वार्न्स एण्ड टीटर्स इन न्यू हैराइजन्स इन क्रिमिनोलॉजी, चतुर्थ संस्करण, प्रिटिंग हाल, इगलवुड.
8. यंग, पी.वी. (1960); साइंटिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च", मुम्बई, एशिया पब्लिकेशन।
9. गुप्ता, सुभाष चन्द्र (1962); "कार्यशील महिला और भारतीय समाज", दिल्लीः राजकमल प्रकाशन।
10. प्रभु, पी.एन. (1963); "हिन्दु सोशल ऑर्गेनाइजेशन", मुम्बईः बॉम्बे पापुलर पब्लिकेशन।
11. तलवार, ऊषा (1965); "सोशल प्रोफाइल इन इंडिया", जोधपुरः जैन ब्रदर्स।
12. कपूर प्रमिला (1970); "मैरिज एण्ड वर्किंग विमेन इन इंडिया", दिल्लीः विकास पब्लिकेशन।
13. विजय, एन्यू एलीट (1975); "विमन इन इंडियन पोलिटिक्स", नई दिल्लीः विकास पब्लिकेशन।

14. अलीतारा (1975); "वेग इंडिया'ज वीमेन पॉवर", दिल्लीः एस. चांद पब्लिकेशन।
15. कपूर, प्रमीला (1976); "कामकाजी भारतीय नारी", देहलीः राजपाल एण्ड संस।
16. श्रीवास्तव, एस.पी. (1978): सामाजिक समस्यायें, सामाजिक कार्य, विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, पृ. 1.
17. बोकर, एच.एल. (1978); "वाइफ बीटिंग एंड क्राइम इन अमेरिका", न्यूयॉर्कः जॉन वैली पब्लिशिंग हाउस।
18. मूरे, डी.एम. (1979); "दी वेटर्ड वूमेन क्राईम इन अमेरिका": अमेरिकाः मैकमिलन न्यूयॉर्क।
19. हॉसन, डी. (1981): ओरिजन ऑफ दि एकेडमिक ज्योग्राफी इन दि यूनाइटेड स्टेट, हैर्म्ब, पृ. 165–174.
20. जैन, मंजु (1982); "कार्यशील महिला एवं समाज", जयपुरः रूपा बुक्स।
21. बोहरा, आशारानी (1983); "भारतीय नारी दशा और दिशा", नई दिल्लीः नेशनल पब्लिशर्स।
22. बघेल, डी.एस. (1985): क्रिमिनोलॉजी, पृ. 127–128.
23. आहुजा, राम (1987); "क्राइम अंगेस्ट वूमेन", जयपुर : रावत पब्लिकेशन।
24. अंसारी, एम.एन. (1989); "नारी और नारी चेतना", जयपुरः पंचषील प्रकाशन।
25. मैगारानी (1989); "नारी चेतना और अपराध", जयपुरः पंचशील प्रकाशन।
26. जेनिस, संजय केतन (1993); "कार्यशील महिलायें और आधुनिकीकरण", नई दिल्लीः आशीष पब्लिकेशन हाउस।
27. घोष, ए.के. (1993); "महिला और अपराध", नई दिल्लीः आशीष पब्लिकेशन हाउस।
28. शर्मा, राम (1996); "भारतीय समाज में नारी आदर्शों का विकास", मथुराः जनजागरण प्रेस।
29. मिश्रा, सरस्वती (1996); "भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति", नई दिल्लीः शारदा पब्लिशिंग हाउस।
30. मेहता, चेतन (1996); "महिला एवं कानून", नई दिल्लीः आशीष पब्लिशिंग हाउस।
31. आहुजा, राम (1996); "भारतीय समाज में नारी आदर्शों का विकास", मथुराः विकास जनजागरण प्रेस।
32. आप्टे, प्रभा (1996); "भारतीय समाज में नारी", जयपुरः क्लासिक पब्लिशिंग हाउस
33. श्रीवास्तव, सुधारानी (1997); "भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति", नई दिल्लीः प्रकाशक एफिसिएंट ऑफसेट।
34. सचदेव, आषुरानी (1997); "महिला विकास कार्यक्रम", जयपुरः प्रकाषक इनश्री।
35. आचार्य, रोहित (1998); "नारी और शिक्षा", नई दिल्लीः दलित साहित्य प्रकाशन।
36. बैली (1998); "वॉयलेंस अगेन्स्ट वूमैन्स", नई दिल्लीः कृष्ण प्रकाशन।
37. देसाई, ए.आर. (1998); "भारतीय समाज", जयपुरः कॉलेज बुक सेन्टर।